प्रेस नोट दिनांक– 08.10.2020

सोशल मीडिया व न्यूज चैनलों पर वायरल हो रहे मारपीट के वीडियो के सम्बन्ध में इटावा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा तथा क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में एसओजी इटावा व थाना बकेवर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया एवं न्यूज चैनलों पर वायरल हो रहे मारपीट के वीडियो के सम्बन्ध में जांच कर विभिन्न तथ्यों का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

विगत सप्ताह में सोशल मीडिया व न्यूज चैनलों पर एक मारपीट को वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि अनीस उर्फ अन्नू नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है जिसको कई समाचार पत्र व न्यूज चैनलों द्वारा प्रकाशित तथा प्रसारित भी किया गया था। उक्त वीडियो के सम्बन्ध वादिनी रिजवाना बेगम पत्नी अनीस उर्फ अन्नू द्वारा थाना बकेवर पर सूचना दी गयी कि दिनांक 28.09.2020 को शिवम भदौरिया उसके पति को अपने साथ बिहार ले गया था तथा अब उसके पति के साथ मारपीट का वीडियो उसे प्राप्त हुआ है। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना बकेवर मु0अ0सं0 514/20 धारा 323,342 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त अभियोग के सम्बन्ध में कार्यवाही तथा प्रकरण की जांच हेतु एसओजी इटावा को निर्देशित किया गया था। एसओजी इटावा द्वारा उक्त वीडियो के सम्बन्ध में जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त वीडियो बिहार के रोहतास जनपद में बनाया गया है विभिन्न साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए कार्यवाही की जा रही थी एवं इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त लोग जगमोहनपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर बडी मस्जिद के पास खडे है जिनके पास अवैध असलाह भी है। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर मौके 02 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा एक महिला व एक पुरूष अधेंरे का लाभ उठाकर मौके से भागने में सफल रहे तथा पकडे गये अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा तथा एक अवैध चाकू भी बरामद हुआ है। पकडे गये अभियुक्तों में एक अभियुक्त का नाम अनीस उर्फ अन्नू है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पीटा जा रहा था। जिसके गुमशुदा होने के सम्बन्ध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था उक्त अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व में गौकशी में जनपद औरैया से जेल जा चुका है।

अभियुक्तों द्वारा किये गये कृत्य तथा उनके कब्जे से बरामद हुए अवैध शस्त्र के सम्बन्ध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 520/20 धारा 34, 120बी, 182,193,323,342 भादवि अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की गयी।

पुलिस पूछताछ–

ETAWAH POLICE

गिरफ्तार अभियुक्त अनीस उर्फ अन्नू से पुलिस टीम द्वारा उनके साथ हुई मारपीट तथा उनके पत्नी द्वारा थाना बकेवर पर पंजीकृत कराये गये अभियोग के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्त अनीस द्वारा बताया गया कि शिवम भदौरिया तथा हमारा दोनों लोगों का ट्रांसपोर्ट का काम है। जिसमें हम लोग भिण्ड व मुरैना से सरसों का तेल बिहार ले जाने का व्यापार करते है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं इधर से बिहार तेल ले जाता था तथा इकबाल कुरैशी जो विक्रमगंज जनपद रोहतास बिहार जो कि मीट का काम करता है। उधर से वापस आते समय इकबाल कुरैशी के पास मीट लोड करके दिल्ली व अन्य स्थानों पर लाते थे जिसमें हमारा आपस में पैसे का लेन देन चलता रहता है। दिनांक 30.09.2020 को मैं इकबाल कुरैशी के पास बिहार गया था जहां शिवम भदौरिया पहले से मौजूद था तथा इकबाल कुरैशी व मेरे बीच मीट के पैसे के लेन देन को लेकर इकबाल कुरैशी व उसके साथियों द्वारा मेरे साथ मारपीट की गयी थी जिसका वीडियो शिवम द्वारा बनाकर मेरे घर वालों को भेज दिया था जिससे मेरी समाज में काफी बदनामी हइु थी। जिस कारण शिवम से बदला लेने के उद्देश्य से अपनी पत्नी रिजवाना उर्फ सोनी तथा अपने परिवारीजनों के माध्यम से योजनाबृद्व तरीके से शिवम के विरूद्व फर्जी मुकदमा लिखवाया था तथा वीडियो को पत्रकार मित्र के माध्यम से न्यूज में प्रसारित करवाया था। इस घटना क्रम के दौरान अभियुक्त अनीस उर्फ अन्नू अपने भाई मन्नू के घर पिलखर में रह रहा था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

1. अनीस खान उर्फ अन्नू पुत्र लुकमान खान नि0 अहेरीपुर थाना बकेवर।
2. अल्ताफ खान पुत्र लुकमान खान नि0 अहेरीपुर थाना बकेवर।

गिरफ्तारी हेतु शेष अभियुक्त–

1. रिजवाना उर्फ सोनी पत्नी अनीस खान नि0 अहेरीपुर थाना बकेवर।
2. मन्नू पुत्र लुकमान खान नि0 अहेरीपुर थाना बकेवर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 108/16 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना अजीतमल औरैया।
2. मु0अ0सं0 520/20 धारा 34, 120बी, 182,193,323,342 भादवि थाना बकेवर इटावा।
3. मु0अ0सं0 521/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर इटावा।
4. मु0अ0सं0 522/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर इटावा।

<u>बरामदगी–</u>

1. 01 देशी तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. 01 अवैध छुरी

पुलिस टीम– प्रथम टीम– श्री सत्येन्द्र सिंह यादव प्रभारी एसओजी इटावा, श्री वी0के0 सिंह प्रभारी सर्विलांस इटावा मय टीम।
द्वितीय टीम– श्री सुरेश चन्द्र वरिष्ठ उपनिरीक्षक बकेवर मय टीम।

नोट– उक्त घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा पुलिस टीम को 25000रू0 के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा।

ETAWAH POLICE